सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 365/18 **निर्णय दिनांकः 30.05.2019**

1. भंवरलाल
2. राजूराम — पुत्र/पुत्री सोहनलाल
3. गीतादेवी
4. आशा बेवा सोहनलाल

जाति चमार निवासी चक 7 एसएसएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. जुगलसिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत निवासी चक 7 एसएसएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 16—09—1987
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री धन्ने सिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 16—07—1987 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में स्थिति स्मालपेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. सक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के धारण में चक 7 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 67/29 में भूमि निहित है। इसी मुरब्बा नम्बर 67/29 के किला नम्बर 2, 3, 8, 9 व 12 की 5 बीघा भूमि स्माल पेच आवंटन हेतु उपलब्ध थी। जिसके आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को दरकिनार करते हुए अपीलांट व अन्य चिपते काश्तकारों को नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटान की चक 7 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 67/29 में खातेदारी भूमि स्थित है। इसी मुरब्बें में किला नम्बर 2, 3, 8, 9, व 12 की 5 बीघा आराजीराज भूमि स्मालपेच आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि थी जिसके आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मुरब्बा नम्बर 67/36 में है जो चिपते मुरब्बे में स्थित है उसने मुरब्बा नम्बर 67/29 की 5 बीघा आराजी राज भूमि के स्मालपेच आवंटन के लिए आवंटन अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई। जिसमें अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति नरपत सिंह आदि की वरियता कायम की गई।

उन्होंने आगे बताया कि जब वादगत् भूमि मुरब्बा नम्बर 67/29 में अपीलांटगणों की खातेदरी भूमि स्थित है ऐसी स्थिति में इसी मुरब्बें के किला नम्बर 2, 3, 8, 9, व 12 की 5 बीघा भूमि स्मालपेच आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है रेस्पोडेन्ट की ना तो वादगत् मुरब्बें में कोई भूमि निहित है व ना ही उनकी कोई वरियता बनती है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि स्मालपेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे

में निहित भूमि–धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। स्मालपेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन स्मालपेच आवंटन नियमों के विपरीत होन से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने चक 7 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 67/29 के किला नम्बर 2, 3, 8, 9, व 12 में कुल रकबा 5 बीघा स्मालपेच में

आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन पत्र जैरकार नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14 के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता की तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या के धारण की भूमि वादगत् भूमि के बिल्कुल चिपते हुए है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि वादगत् भूमि के चिपते होने के कारण रेस्पोडेन्ट की वरियता प्रथम मानते हुए व केवल मात्र उन्हीं का आवेदन होने के कारण वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज हो चुका है एवं पानी की बारी/पर्ची भी रेस्पोडेन्ट के नाम से बनती चली आ रही है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—09—1987 से विरूद्व अपील दिनांक 24—10—2018 को पेश की गई है। जोकि आदेश जैर अपील पारित होने के करीब 31 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत की गई है अतः अपीलांट द्वारा अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में अपीलांट को आवंटित भूमि से सटकर रेस्पोडेन्ट को स्मालपेच भूमि दिनांक 16—09—1987 को आवंटित हो चुकी थी तथा आवंटन को वर्षो पूर्व राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जा चुका था। बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी की प्रतियों के अनुसार संवत् 2044 से मुरब्बा नम्बर 67/29 के किला नम्बर 2, 3, 8, 9 व 12 पर आवंटी जुगलसिंह की काश्त होने का उल्लेख है। सिंचाई विभाग द्वारा जारी बाराबंदी स्टेटमेंट के अनुसार मुरब्बा नम्बर 67/29 में जुगलसिंह को काश्तकार मानकर सिचाई हेतु पानी आवंटित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि आवंटन के बाद से ही उक्त स्मालपेच भूमि पर जुगलसिंह काश्त कर रहा था। अपीलांट के तर्क में दम नहीं है कि उसे उक्त भूमि के आवंटन की जानकारी पहली बार दिनांक 10—10—2018 को ही हुई।

विवादित भूमि के तीन और अपीलांट की भूमि होने के कारण आवंटन नियमों के तहत प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता था, परन्तु पड़ौसी खातेदार द्वारा समय पर आवंटन हेतु आवेदन नहीं करने पर तथा पड़ौसी मुरब्बें के अन्य खातेदार द्वारा आवेदन कर देने पर 30 साल पूर्व भूमि का आवंटन हो चुका था। आवंटी द्वारा आवंटन के बाद से भूमि का उपयोग किया जा रहा है। इतनी लम्बी अवधि बाद केवल तकनीकी आधार पर आवंटन को चुनौती देने का औचित्य नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील मियांद बाहर व सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है तथा सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—09—1987 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर